कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 620 / 14–1 दिनांकःअलीगढ़ःअगस्त 29 , 2017

सेवा में,

डिवीजनल मैनेजर,
एस्सार ऑयल लिमिटेड,
2314, तीसरी मंजिल, टॉवर ए,
द कोरेन्थम, ए–41, सैक्टर–62,
नोएडा–201309 (उ0प्र0)।

विषयः– **अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज–26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम बिसावली के खसरा सं0–537 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 रिटेट आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075012 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी / यू0पी0 / 06 / 39 / 2017 / एफ0सी0 / 46 दिनांक 17.07.2017 तथा प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ की पत्र संख्याः184 / दिनांक 20.07.2014

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ ने अपने संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.07.2017 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु आपको लिखा गया था परन्तु आपके द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव अभी तक प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः आप भारत सरकार के निर्देशानुसार आपत्तियों का निराकरण कर समस्त सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र प्रभागीय निदेशक प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 620 / 14–1 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।